तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

09.01.2023

पत्रावली आज पेश हुई।
प्रार्थीगण के वकील उपस्थित ।
विप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 23, 24 व 488 कुल रकबा 9.5748 हैक्टयर मौजा महिलावास तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि माफिक कब्जा काश्त पृथक करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। विप्रार्थी संख्या 1 से 14, जो सरजोर किस्म के व्यक्ति हैं, उक्त भूमि का बिना विधिवत विभाजन करवाये भूमाफिया लोगों को बेचान करने एवं उन्हें प्रार्थीगण द्वारा उपजाउ बनाई गई उनके कब्जा–काश्त की भूमि पर जबरन काबिज करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 से 14 अपने इस मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अपने हिस्से की भूमि पर उनका लगातार कब्जाकाश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः मूल वाद का निर्णय होकर प्रार्थीगण की भूमि पृथक नहीं होने तक विप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थीगण के कब्जा–काश्त में न स्वयं, और न किसी अन्य द्वारा दखलंदाजी करें।

हमने वकील प्राथीगण की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। प्रार्थीगण का यह कथन सही है कि वे विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। किन्तु यह भी सही है कि विप्रार्थी संख्या 1 से 14 भी खातेदार की हैसियत से उक्त भूमि में रिकॉर्डेड खातेदार हैं। जहां तक विप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का बेचान किये जाने का प्रश्न है, उन्हें उनके वास्तविक हिस्से की सीमा तक विवादित भूमि के बेचान अथवा अन्य विधि से हस्तांतरित किये जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जहां तक विप्रार्थी संख्या 1 से 14 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में दखलंदाजी किये जाने का प्रश्न है, प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य –यथा पुलिस थाना में प्रस्तुत एफ.आई.आर आदि प्रस्तुत नहीं किया हैं, जिससे विप्रार्थीगण द्वारा उनके कब्जाकाश्त में दखलंदाजी करने की पुष्टि होती हो। ऐसी सूरत में प्रार्थी [illegible] में चाही गई रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की [illegible] के विरूद्ध इस्तदुआ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र औचित्यविहीन होने से खारिज किया जाता है।
आदेश सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना